FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

कल्याण आदि बनाम काली आदि

किस्म मुकदमा–स्थगन प्रा0पत्र नम्बर––61––सन्– 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.7.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री उमेश गौड उपस्थित। अप्रार्थी मंगलराम व हजारीलाल पुत्र गोपाल की ओर से श्री वरूण नागर अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.7.2025 को पेश हो। Dw जिला कलक्टर दौसा	
17.7.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी गंगलराम व हजारी लाल उपस्थित। दिनांक 7.7.2025 को उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक स्थगन प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का द्वारा ग्राम ग्राम चक हरपट्टी तत्कालीन तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण स्थित आराजी पूर्व खसरा नंबर 14/39 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके बाद भू प्रबंध वर्तमान खसरा नंबर 69 से 72 कुल रकबा 1.60है. वाके ग्राम चक हरपट्टी का नामान्तरण सं0 10 गोपाल पुत्र धन्ना मीना के नाम आवंटन आदेश बताकर दिनांक 18.8.1969 को भरा गया जिस पर गिरदावर हल्का ने दिनांक 21.8.1969 को तुलना की गई एवं तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 25.4.1972 को तस्दीक किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा बिना आवंटन आदेश के भरा गया। प्रार्थीगण ने जिला अभिलेखागार दौसा में तथाकथित आवंटन आदेश की नकल प्राप्त करने के लिए दिनांक 19.3.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया।प्रभारी जिला अभिलेखागार दिनांक 21.3.2025 को कार्यालय अभिलेख का अवलोकन कर सन 1958 से 1967 तक गोपाल पुत्र धन्ना के नाम कोई आवंटन आदेश की पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना अंकित कर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र चाहने नकल आवंटन आदेश निरस्त फरमा दिया। अतः गोपाल पुत्र धन्ना के नाम कोई आवंटन आदेश होना प्रमाणित नहीं है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश गोपाल पुत्र धन्ना के नाम खसरा नंबर 14/39 रकबा 6 बीघा 10 बीघा का अस्थाई खातेदारी का कोई प्रावधान राज0 भू राजस्व अधिनियम में प्रवाहित नहीं है। प्रत्यर्थीगण के पूर्वज गोपाल पुत्र धन्ना के पक्ष में बिना आवंटन अस्थाई नामान्तरण तस्दीक कर तहसीलदार दौसा द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है। गोपाल पुत्र धन्ना अर्सा करीब 15 वर्ष से फरार है। प्रत्यर्थीगण ने उसे मृत बताकर नामान्तरण दिनांक 12.7.12024 को गोपाल को मृतक बताकर करवा लिया। आराजी अंकित अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पूर्वज गोपाल पुत्र धन्ना कीसंयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका नामान्तरण स्व0 गोपाल पुत्र धन्ना के पक्ष में अवैध एवं अनियमित रूप से किया गया है। प्रत्यर्थीगण अब भूमि को खातेदारी की बताकर अपीलाट को बलपूर्वक निष्कासित करना चाहते है। अतः अपीलांट्स व्यथित पक्षकार है और प्रश्नगत आदेश को चुनौती देने हेतु सक्षम है। नामान्तरण जैर अपील पारित किये जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सूरत पैदा हो गई है। अप्रार्थीगण उक्त नामान्तरण की आड में प्रार्थीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने [illegible] करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में अपील के अंतिम निस्तारण तक [illegible] और अपील की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जाना एवं [illegible] की स्थिति को यथावत रखा जाना आवश्यक है। अतः स्थगन प्रा.पत्र [illegible] फरमाया जाकर अपील के अंतिम निर्णय होने तक नामान्तरण जैर अपील की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावें कि वे उक्त नामान्तरण आदेश की आड़ में भूमि खसरा नंबर 69 से 72 वाके ग्राम चक हरपट्टी के मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1989 पेज 45, आरआरडी 1994 पेज 604, आरआरटी 2023(2) पेज 124, आरबीजे 2002 पेज 608 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।	

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 5 ने स्थगन प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपील अत्यधिक देरीना मियाद बाहर पेश की गई है व देरी का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं है। प्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि से क्या संबंध है उसे प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। अपील में प्रार्थना पत्र एग्रीव्ड नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि से कोई वास्ता कभी नहीं रहा। अपीलांट्स का कब्जा किस प्रकार से रहा है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है और न ही अपील में ऐसा कोई विवरण दिया गया है। अपीलांट्स ने केवल राजनैतिक अदावट की भावना से रेस्पों0 को येन केन प्रकारेण परेशान करने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पों0 व उनके पूर्वज 53 वर्ष से भी अधिक समय से भूमि पर काबिज होकर काश्त कर लाभांवित होते चले आ रहे है। अपीलांट्स का एकमात्र उद्देश्य रेस्पों0 को उनके कानूनी अधिकार से महरूम करने का है एवं इसी बदनीयति से उक्त अपील पेश की गई है। उपरोक्त अपील लगभग 53 वर्ष पश्चात असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई हैं। रेस्पों. एवं उनके पूर्वजो का कब्जा व खातेदारी लगभग 53 वर्षों से लगातार चली आ रही है जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्रारंभ से ही रही है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड लगातार नियमित रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा मेन्टेन किया जाता है। अपीलांट्स उसी गांव के है जहॉ भूमि स्थित है इसलिए यह संभव नहीं है कि रेस्पों. के नाम खातेदारी के नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स व उसके पूर्वजों को न हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 5 ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2010 डीएनजे (1) राज. 400, 2009 डीएनजे (1) राज. 215, 2009 डीएनजे (2) राज. 799, 2016(2) सीजे(सिविल) राज. 1150, 2009(1) सी.डीआर. राज. 377, 2015 एआईआर एस.सी. 1021, 2004 सी. डी.आर.(3) राज. 2061, 2016(2) सी.जे. (सिविल) राज. 1263, 2016(1) सी.जे. (सिविल) राज. 58, 2016(4) डीएनजे राज. 1729, 2016(3) सी.जे. (सिविल) राज. 1835 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार दौसा द्वारा खोले गये नामान्तरण सं. 10 दिनांक 25.4.1972 को 53 वर्ष बाद प्रस्तुत की जा रही है, जबकि मियाद की अवधि 30 दिवस की होती है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के विपक्ष में तय की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील के संलग्न रहे।

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested